

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 11 मई 2018

कमांक एफ 1ए-56/2016/14-1 : इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 दिसम्बर 2017 द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप 53 द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को एवं कमांक एफ 1ए-49/2017/14-1 दिनांक 28.10.2017 द्वारा 06 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु 60 के स्थान पर 62 वर्ष की गई है। ऐसी स्थिति में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत वर्ष 2018 में 31 मार्च 2018 अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों के जारी आदेश की प्रभावशीलता समाप्त हो गई है।

2/ अतः राज्य शासन एतद्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश में वर्ष 2018 में सेवानिवृत्ति तिथि 31 मार्च 2018 अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले सभी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सेवानिवृत्ति किये जाने वाले संबंधी जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 11 मई 2018

पृ. कमांक एफ 1ए-56/2016/14-1
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मा0 मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल
 2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
 3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल
 4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल
 5. संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ीकलां भोपाल
 6. संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल
 7. प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल
 8. संबंधित प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मध्यप्रदेश
 9. संबंधित संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0
 10. संबंधित उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश
 11. संबंधित परियोजना संचालक, आत्मा समिति मध्यप्रदेश
 12. संबंधित कोषालय अधिकारी
 13. संबंधित अधिकारीगण
 14. आदेश नस्ती
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

233
15/5/18

4/6/582
14/9/18

JDA (6811) P.A.
11/10/18

A-1-A/A-1-B

14/05/18

14/05/18